

(31)

**न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)**

प्रकरण क्रमांक- /2016 निगरानी निम्न-2277-II/6

नक्टूराम पुत्र मनई राम कुशवाह उम्र 60 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी- ग्राम मारौरा, अहीर, परगना पोहरी, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)  
.....निगरानीकर्ता

Dr.  
Rajeev Rajhwar Singh  
8/7/16

राजिव रघुवंशी  
द्वारा आज दि 8-7-16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

- 1- श्रीमती अनीता शर्मा पत्नि श्री सुनील कुमार शर्मा, आयु- 40 वर्ष, व्यवसाय- शासकीय सेविका, निवासी- ग्राम सिरसौद, हाल निवासी- पुरानी रेलवे लाईन, कुशवाह सप्लायर के सामने, विवेकानन्द कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.)
- 2- मंगल सिंह पुत्र श्री नक्टूराम कुशवाह
- 3- कूंगरराज पुत्र श्री नक्टूराम कुशवाह
- 4- भागचन्द पुत्र श्री नक्टूराम कुशवाह
- 5- शिशुपाल पुत्र श्री नक्टूराम कुशवाह
- 6- पदम पुत्र रामधेन कुशवाह, आयु-30 वर्ष, निवासीगण (क्र.2 लगा.6) - ग्राम मारौरा, अहीर, परगना पोहरी, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)  
.....रिस्पोंडेन्ट्स

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रास्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 23.06.2016 जो नायब तहसीलदार वृत्त 2 पोहरी छर्च तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. ने प्रकरण क्रमांक- 1/15-16/अ-70 में पारित किया, को अपास्त किये जाने बावत्।**

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

- 1- यहकि, रिस्पोंडेन्ट क्रमांक- 1 ने निगरानीकर्ता व रिस्पोंडेन्ट क्रमांक- 2 लगायत 6 के विरुद्ध भूमि स्थित ग्राम पाटनपुर तहसील पोहरी जिला शिवपुरी के सर्वे क्रमांक- 298 रकवा 0.79

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2277-दो / 2016

जिला-शिवपुरी

नक्टूराम कुशवाह विरुद्ध श्रीमती अनीता शर्मा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त-2 पोहरी छर्च, तहसील पोहरी, जिला-शिवपुरी के प्र. क्र. 01/2015-16/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 23-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p style="text-align: right;">(जे०के० जैन) सदस्य</p>	